रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 23, 1994/फाल्गुन 4, 1915
No. 1] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 23, 1994/PHALGUNA 4, 1915

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23, फरवरी, 1994

का.नि.आ. 1अ : —अधिसूचना सं. 3-ई दिनांक 9 फरवरी, 1993 के क्रम में, केन्द्रीय सरकार इस बात की संतुष्टि के बाद कि छावनी परिषद् जम्मू के प्रशासन हेतु छावनी परिषद् के संविधान को परिवर्तित रखना वांछनीय है, एतद्द्वारा छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 14 की उपधारा (4) के अंतर्गत घोषणा करती है और निदेश देती है कि उक्त परिषद् का कार्यकाल 31-1-1994 से या उक्त अधिनियम की धारा 13 की अन्तर्गत बोर्ड के गठित होने तक, जो भी पहले हो, एक वर्ष तक बढ़ा हुआ माना जाएगा।

[फाइल सं.-29/सामान्य/चुनाव/सी/डीई/94/679/डी (क्यू एण्ड सी)]

वी.पी. राजा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February, 1994

S.R.O. 1-E.—Further to the notification No. 3E dated 8th Feb., 1993 the Central Government having been satisfied that for the administration of the Cantonment, it is desirable to keep the constitution of the Cantonment Board, Jammu varied hereby makes a declaration under sub-section (4) of section 14 of the Cantonments Act, 1924 to that effect and directs that the term of the said Board shall stand extended for a period of one year with effect from 31-1-1994 or till the Board is constituted under section 13 of the said Act whichever is earlier.

[F. No. 29|General|Elect|C|DE|94|679|D Q&C)]
V. P. RAJA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1994

का.नि.आ. 2-अ :—भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, का.नि.आ. सं. 1-अ दिनांक 23-2-94 जो भारत सरकार, असाधारण राजपत्र भाग-II खण्ड-4 दिनांक 23-2-1994 में प्रकाशित हुआ है, के साथ पढ़ा जाने वाला छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2), की धारा 14 की उपधारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि निम्नलिखित दो व्यक्ति 31-1-1994 से छावनी परिषद्, जम्मू के सदस्य के रूप में नामित किए गए हैं। यह का.नि.आ. सं. 14-ई दिनांक 24-06-1993 का अधिक्रमण करता है।

1.	मेजर एम.एस. सिधू	धारा 14 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत नामित।
2.	श्री मनोहर सिंह	धारा 14 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अन्तर्गत नामित

[फाइल सं.-29/सामान्य/चुनाव/सी/डीई/94/679/डी (क्यू एण्ड सी)]
वी.पी. राजा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February, 1994

S.R.O. 2E.—In pursuance of Sub-section (3) of section 14 of the Cantonment Act, 1924 (2 of 1924), read with the notification of the Government of India, Ministry of Defence, No. S.R.O. 1E dated the 23-2-1994, published in Government of India, Extraordinary Gazette Part-II, Section 4 dated the 23-2-1994, the Central Government hereby notifies that the following two persons have been nominated to be the members of the Cantonment Board, Jammu with effect from 31 January, 1994. This supersedes S.R.O. No. 14-E dated 24th June, 1993.

1. Major M. S. Sidhu—nominated under clause (b) of sub-section (2) of section 14.

2. Shri Manohar Singh—nominated under clause (c) of sub-section (2) of section 14.

[F. No. 29|General|Elect|C|DE|94|679|D (Q&C)]

V. P. RAJA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994